बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– 12/अ0प्र0–31–01/2023 पटना/दिनांक–

प्रेषक,

शत्रुंजय कुमार मिश्र
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा
सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषयः– 15 (पंद्रह) वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार सरकार, परिवहन विभाग का पत्रांक 343 दिनांक 18.01.2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारुप अधिसूचना जी0एस0आर0 845 (अ) दिनांक 24.11.2021 के तहत 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन प्रमाण–पत्र के नवीकरण पर रोक लगाने वाले नियमों को प्रारुप अधिसूचना के रुप में अधिसूचित किया गया है। इन वाहनों को निबंधित वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में ही स्क्रैप किया जाना अनिवार्य किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वैच्छिक वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरु किया है, जिसे स्क्रैपिंग नीति के रुप में भी जाना जाता है। इस नीति का उद्धेश्य पुराने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर वाहन प्रदूषण को कम करना है। इस कार्य हेतु बिहार राज्य को वर्ष 2022–2023 के लिए पूँजी निवेश हेतु विशेष सहायता–योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रुप में 50.00 करोड़ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए 31.01.2023 तक 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों के स्क्रैप के लिए सरकारी वाहनों से संबंधित ऑकड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस संबंध में विभागीय ज्ञापांक 614 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा सभी अधीक्षण अभियंता से अपने अधिनस्थ कार्य प्रमंडलों से ऑकड़ा समेकित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ 15 (पंद्रह) वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों (वाहन संख्या सहित) से संबंधित ऑकड़ा संलग्न निम्न विहित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के ई0मेल0 आई0डी0 jsecrwd@gmail.com पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। जिससे कि परिवहन विभाग को ऑकड़ा उपलब्ध कराया जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

कार्यालय का नाम	0 to 15 years		15 to 20 years		More than 20 Years	
	On-road	Off-road	On-road	Off-road	On-road	Off-road

विश्वासभाजन

ह0/–

(शत्रुंजय कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

484

ज्ञापांकः— 12/अ0प्र0—31—01/2023 1978 पटना/दिनांक— 19/4/23

प्रतिलिपिः— आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी कार्यालय को ई0मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

19/4/23

सरकार के संयुक्त सचिव

निबंधित

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–06 / स्क्रैपिंग(वि0)–12–09 / 2022 . 343

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार सरकार।

पटना, दिनांक :– 18/1/2023

विषय :– 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई.मेल दिनांक–07.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना जी.एस.आर. 845(अ) दिनांक–24.11.2021 के तहत 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन प्रमाण–पत्र के नवीकरण पर रोक लगाने वाले नियमों को प्रारूप अधिसूचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वाहनों को निबंधित वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में ही स्क्रैप किया जाना अनिवार्य किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वैच्छिक वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे स्क्रैपिंग नीति के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति का उद्देश्य पुराने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर वाहन प्रदूषण को कम करना है। इस कार्य हेतु बिहार राज्य को वर्ष 2022–23 के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में ₹50.00 करोड़ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए दिनांक–31.01.2023 तक 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों के स्क्रैप के लिए सरकारी वाहनों से संबंधित आँकड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रारूप में अपने अधीनस्थ निगम, संस्था, कार्यालय आदि के 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों के संबंध में आँकड़ा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कार्यालय का नाम	0 to 15 years		15 to 20 years		More than 20 years	
	On-road	Off-road	On-road	Off-road	On-road	Off-road

विश्वासभाजन,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–08/स्क्रैपिंग(वि0)–12–09/2022

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार सरकार।

पटना, दिनांक :– 18/1/2023

विषय :– 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई मेल दिनांक–07.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना जी.एस.आर. 845(अ) दिनांक–24.11.2021 के तहत 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन प्रमाण–पत्र के नवीकरण पर रोक लगाने वाले नियमों को प्रारूप अधिसूचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वाहनों को निबंधित वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में ही स्क्रैप किया जाना अनिवार्य किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वैच्छिक वाहन बेड़े के अधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे स्क्रैपिंग नीति के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति का उद्देश्य पुराने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर वाहन प्रदूषण को कम करना है। इस कार्य हेतु बिहार राज्य को वर्ष 2022–23 के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में ₹50.00 करोड़ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए दिनांक–31.01.2023 तक 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों के स्क्रैप के लिए सरकारी वाहनों से संबंधित आँकड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रारूप में अपने अधीनस्थ निगम, संस्था, कार्यालय आदि के 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों के संबंध में आँकड़ा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कार्यालय का नाम	0 to 15 years		15 to 20 years		More than 20 years	
	On-road	Off-road	On-road	Off-road	On-road	Off-road

विश्वासभाजन,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
19 APR 2023
885
बिहार, पटना
50-12

(4)

कार्यालय का नाम	0 to 15 years		15 to 20 years		More than 20 years	
	On-road	Off-road	On-road	Off-road	On-road	Off-road